जनता की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए
केंद्र सरकार की जन विरोधी, श्रमिक विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ,
28-29 मार्च 2022 को आम हड़ताल

साथियों एवं बहनों भाईयों,

केंद्र सरकार की जनविरोधी, श्रमिक विरोधी, राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ चल रहे संघर्ष के तहत केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं स्वतंत्र फेडरेशन के संयुक्त मंच ने 28-29 मार्च 2022 को आम हड़ताल का आह्वान किया है। वर्तमान नीति व्यवस्था द्वारा ढाये जा रहे विध्वंस एवं विनाश से जनता एवं राष्ट्र की रक्षा हेतु ट्रेड यूनियनों की संयुक्त मंच दृढ़ संकल्पित है।

वर्तमान नीति व्यवस्था पूरे राष्ट्र को बिक्री हेतु उपलब्ध कराना चाहती है। रणनीतिक क्षेत्र एवं कोर क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों सहित पूरे सार्वजनिक उपक्रमों के बेधड़क निजीकरण हेतु बोली आमंत्रित करना, वास्तव में राष्ट्रीय हितों की कीमत पर पर घरेलू एवं विदेशी निजी कारपोरेटों के हित में हमारी राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक प्रभुसत्ता को नष्ट करने के लिए विध्वंस एवं विनाशकारी कार्यक्रम है। सार्वजनिक उपक्रम सेल एवं आरआईएनएल मुख्य लक्ष्य है। यदि यह सफल हो जाता है तो कर्मियों के एक बड़े हिस्से को डराने-धमकाने के अलावा उन पर गुलामी थोपी जाएगी और कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। वास्तव में ए.एस.पी., सेलम, व्ही.आई.एस.एल., वाइजाग को लक्ष्य में रखकर, इस्पात क्षेत्र की निजीकरण की कोशिश लंबे समय से चल रही है किंतु ए.एस.पी., सेलम, व्ही.आई.एस.एल. के प्रतिरोध एवं वाइजाग में चल रहे संघर्ष के कारण अभी तक सफल नहीं हो पायी है। इसके अलावा निजी एवं असंगठित क्षेत्र सहित राष्ट्रीय एवं उद्योग स्तर पर राष्ट्रव्यापी संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन, कई राष्ट्रीय आम हड़ताल एवं बीच-बीच में उद्योग स्तर के हड़ताल के माध्यम से संघर्ष चल रहा है। इसी संघर्ष के क्रम में 2 दिनो की हड़ताल का आह्वान किया गया है ताकि विवेकहीन निजीकरण की मुहिम को निर्णायक रूप से रोका जा सके।

निजीकरण की विवेकहीन मुहिम ने सरकार को इतना बेखौफ बना दिया है कि सरकार ने अब राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन कार्यक्रम द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों को निजी कारपोरेटो को मुफ्त में देने का निर्णय लिया है। ढांचागत क्षेत्र जैसे रेलवे, सड़क मार्ग, गोदी एवं बंदरगाह प्राकृतिक तेल एवं गैस पाइपलाइन, विद्युत ग्रिडस, कोल एवं अन्य खनिज क्षेत्रों से इसकी शुरुआत की गई है। इन क्षेत्रों को लंबी अवधि लीज पर निजी हाथों को सौंप दिया जाएगा जो बिना किसी निवेश के इन क्षेत्रों का परिचालन करेंगे। इससे राजस्व एवं लाभ अर्जित करेंगे और सरकार के साथ राजस्व का एक छोटा सा हिस्सा साझा करेंगे। एक बार यह परिचालन में आ गया तो धीरे-धीरे राजस्व साझेदारी व्यवस्था के साथ अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को भी इसी पाइपलाइन में लाया जाएगा और सभी कर्मी चाहे वह ठेका हो या अस्थाई अपनी नौकरी और नौकरी की सुरक्षा खो देंगे। इससे भी अहम चिंताजनक बात यह है कि पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था विदेशी एवं विदेशी निजी कॉरपोरेट्स के पास गिरवी रख दी जाएगी।

यह सब बातें नीति आयोग द्वारा सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किए गए दस्तावेजों में दर्ज है। कोई भी इसे जांच सकता है। क्या हम इसे होने दे सकते हैं ? क्या हम हमारे देश, जिसमें हमारा कार्यस्थल भी शामिल है, का ऐसे विध्वंस और विनाश होने दे सकते हैं ?

इतना ही नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रविरोधी इस अपराध का जनता द्वारा संगठित विरोध या प्रतिरोध ना किया जाए, सरकार जनवादी एवं सामूहिक अधिकारों को छीनने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। 29 श्रम कानूनों, जिसमें कर्मियों एवं उनके ट्रेड यूनियनों के अधिकारों को विधिक रूप से परिभाषित किया गया है, को विलोपित कर बनाए गए चार श्रम संहिताओं का उद्देश्य सभी श्रम अधिकारों एवं कर्मियों द्वारा अपनी मांगों, अपनी आजीविका के लिए तथा उपेक्षा एवं भेदभाव के खिलाफ सामूहिक संघर्ष के अधिकार को खत्म करना है। इसके अलावा प्रतिरक्षा क्षेत्र या इससे संबंधित किसी भी अन्य क्षेत्र में हड़ताल को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक प्रतिरक्षा सेवा अधिनियम लागू किया गया है। यह सब भी सार्वजनिक सूचना पटल में है और कोई भी इसकी जांच कर सकता है।

इन श्रम संहिताओं द्वारा सरकार को एवं सरकार के माध्यम से संबंधित प्रबंधन एवं नियोक्ताओं को कर्मियों के अधिकारों को दबाने, वर्तमान में जारी सुविधाओं में कटौती का, एकतरफा सेवा शर्तों में परिवर्तन का तथा इच्छा अनुसार आर्थिक दंड आरोपित करने का अधिकार भी दिया गया है। यह पूरी कवायद, समूचे मेहनतकश वर्ग एवं उनके संगठनों पर गुलामी थोपने के एकमात्र कार्यक्रम का संकेत है। कर्मियों के सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार एवं प्रबंधन के किसी भी तरह के एकतरफा एवं विद्वेष से कर्मियों की सुरक्षा को ध्वस्त करना, इन श्रम संहिताओं मुख्य उद्देश्य है।

इसी दिशा में कर्मियों के रोजगार की रुपरेखा को परिवर्तित करने के लिए सरकार दिन रात सक्रिय है और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इस तरह के प्रयोग के लिए सबसे प्रमुख लक्ष्य है। सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित नियुक्तियां कम होती जा रही है तथा महत्वपूर्ण प्रचालन कार्य को बेरोकटोक आउटसोर्सिंग एवं ठेकाकरण के माध्यम से बढ़ाते हुए ठेका कर्मियों से कार्य कराया जा रहा है। आज की तिथि में सभी सार्वजनिक उपक्रमों में औसतन 50% से अधिक ठेका कर्मी है और कहीं-कहीं ठेका कर्मियों एवं स्थाई कर्मियों के बीच अनुपात 70:30 है।

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योग भी अनियंत्रित आउटसोर्सिंग के मामले में कोई अपवाद नहीं है। अधिकांश इस्पात संयंत्रों में प्रमुख प्रचालन कार्यों में बेधड़क आउटसोर्सिंग चल रही है। इस प्रक्रिया में हाल ही में आरआईएनएल के कोक ओवन विभाग की दो बैटरीयों के प्रचालन, सुधार एवं अनुरक्षण कार्य को निजी हाथों में देने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित की जा चुकी है। क्या हम इसे होने दे सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं।

सेल एवं आरआईएनएल के 70 हजार ठेका श्रमिक अभी प्रचालन कार्य शक्ति का एकीकृत हिस्सा बन चुके हैं। यदि उन्हें विभाजित रखा जाता है तो स्थाई कर्मी धीरे-धीरे अपनी सामूहिक सौदेबाजी एवं हड़ताल करने की क्षमता खो देंगे सरकार एवं प्रबंधन चाहते है किउन्हें विभाजित कर रखा जाए। इस कारण इस्पात उद्योग में हम देखते हैं कि प्रबंधन ठेका कर्मियों के अधिकार और वेतन वृद्धि की मांग के लिए झुकने के लिए तैयार नहीं होता है। वह नियमित कर्मचारियों के स्वीकृत पदों को भरे बिना धीरे-धीरे नियमित कर्मचारियों की जगह ठेका कर्मियों को लेना चाहता है।

एक तरफ नियमित कर्मचारियों की भर्ती को रोककर और दूसरी तरफ कार्यक्षेत्र में विभाजन की नीति को अपनाकर ठेका एवं नियमित दोनों कर्मचारियों का लगातार शोषण करना चाहता है। इस कारण हम सबके लिए यह आवश्यक है कि हम ठेका कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़े। इसलिए ठेकाकरण को रोकने और ठेका कर्मियों का नियमितीकरण हमारी 2 दिनों की हड़ताल के लिए मुख्य मांग होना चाहिए।

इस्पात कर्मचारी अपने अनुभव से श्रम संहिताओं के पूरी तरह कार्यान्वित होने के दुष्प्रभाव के गवाह है। बड़ी संख्या में सार्वजनिक इस्पात संयंत्रों एवं स्थापनाओं में कर्मचारियों का शोषण निलंबन, ट्रांसफर आदि के द्वारा, बिना सीलिंग के ग्रेच्युटी के वर्तमान अधिकार को एकतरफा आदेश निकाल कर खत्म करना, दुर्गम क्षेत्र विशेष भत्ता (DASA) को कम करने के लिए एकतरफा कार्यवाही तथा 1 जनवरी 2017 से पूरा एरियर्स पाने के हमारे अधिकार पर नकारात्मक एवं खतरनाक हमला है। कर्मियों के लिए पेंशन के अंशदान में अनुबंध करने के बाद एक तरफा कटौती करने, पेंशन अंशदान को भावी तिथि से लागू करने के लिए एकतरफा आदेश निकालना, ठेका कर्मियों की वेतन वृद्धि के अधिकार में घपला करने, सेवा के लाभ के संदर्भ में कर्मियों पर उच्च अधिकारियों की तुलना में अपमानजनक भेदभाव थोपना, सामूहिक सौदेबाजी के मंच को अभिमानपूर्वक दबाना आदि ऐसे कुछ उदाहरण है कि किस तरह श्रम कानूनों के लागू होने पर प्रबंधन ना केवल अभिमानपूर्वक सत्तावादिता को प्रोत्साहित करता है बल्कि एक तरफा कार्य करता है। उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा तभी वह समझेंगे। आक्रामक हड़ताल और कर्मियों की एकजुटता प्रबंधन की सत्तावादिता और अभिमान का दृढ़तापूर्वक विरोध करने का एकमात्र रास्ता है जो कर्मियों और उनके अधिकारों पर हमले को निश्चयपूर्वक रोक सकता है | हमें एकजुट होकर निर्णय लेना पड़ेगा कि हम लड़ेंगे या गुलामी की शर्तों को मान लेंगे। स्वयं और अपने परिवार के सदस्यों की जान को खतरे में डालकर पूरे समर्पित भाव से उत्पादन कार्य को करने के बावजूद कोरोना मुआवजा और अनुकम्पा नियुक्ति पर प्रबंधन का अहंकारी नकारात्मक व्यवहार प्रबंधन की अमानवीय क्रूरता का सबसे नया उदाहरण है जो श्रम संहिताओं के अनुसार श्रम अधिकारों को शासन की नीतियों के अनुसार आगे बढ़ाती है। पूरा ट्रेड यूनियन आंदोलन इस तरह 2 दिनों की देशव्यापी 28 और 29 मार्च 2022 की हड़ताल को श्रम कानूनों को वापस करने की मांग को उठाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच द्वारा और भी मांगे उठाई गई है। सभी मांगे हासिल करने योग्य व्यावहारिक मांगे हैं, बशर्ते कि हम एकजुट होकर दृढ़ता के साथ संघर्ष करें। आने वाले दो दिवसीय हड़ताल की सफलता से अपमान, उपेक्षा, भेदभाव, दमन, और एकतरफा वाद के खिलाफ इस्पात उद्योग स्तर पर और सरकार द्वारा किए जा रहा है बेधड़क निजी करण के खिलाफ हमारे संघर्ष मजबूत होगा। हम एकजुट होकर लड़ेंगे और जीतेंगे। सरकार और प्रबंधन के प्रतिशोधात्मक एकतरफावाद और अहंकार की नीति का केवल अनुनय से सामना नहीं कर सकते है। अहंकारी और प्रतिशोधात्मक एकतरफावाद नीतियों की रचना, पहले राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सीधी बिक्री को आसान बनाने, त्पश्चात राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की विनाशकारी जघन्य सुनियोजित योजना के साथ कर्मियों पर अस्थायीकरण, ठेकेदारी और रोजगार के आउटसोर्सिंग के माध्यम से गुलामी की शर्तों को थोपने के लिए की गयी है।

कर्मियों की एकजुट कार्यवाही ही हमारे सामने एकमात्र रास्ता है। यदि कर्मी एकजुट हो तो निश्चित ही जीत हमारी होगी। और जीत के क्या मायने है? हम कर्मियों के अधिकारों को बचा पाएँगे और उद्योग को निजीकरण से भी बचाएंगे। हम राष्ट्रीय संपत्ति और अर्थव्यवस्था को राष्ट्र विरोधी शासन की नीति द्वारा नष्ट होने से बचाएंगे। इसी समय हम अहंकार,उत्पीड़न, एकतरफावाद और भेदभाव की दुष्टता का मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे।

राष्ट्रीय मांगे :-

1. चारों श्रम संहिताओं एवं आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम रद्द किया जाए।

2. कृषि कानून निरस्त करने के पश्चात संयुक्त किसान मोर्चा की छह सूत्रीय मांगे स्वीकार की जाए।

3. किसी भी रूप में निजीकरण ना हो। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन रद्द हो।

4. गैर आयकर दाता परिवारों को भोजन एवं 7500 प्रतिमाह आर्थिक मदद दी जाए।

5. मनरेगा के लिए अधिक धनराशि आबंटित हो एवं रोजगार गारंटी योजना का विस्तार शहरी क्षेत्र तक हो।

6. सभी अनौपचारिक क्षेत्र के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू हो।

7. आशा, आंगनबाड़ी, मध्यान्ह भोजन एवं अन्य योजना कर्मियों के लिए भी विधिक न्यूनतम वेतन लागू किया जाए।

8. महामारी के बीच सेवा देने वाले अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को उचित सुरक्षा उपकरण एवं बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

9. अमीरों पर संपत्ति कर बढ़ाकर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं पर अधिक धन खर्च हो।

10. पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्रीय आबकारी शुल्क घटाया एवं महंगाई रोकने अन्य उपाय किए जाए।

11. ठेका श्रमिकों,एवं योजना कर्मियों का स्थायीकरण तथा सभी के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन लागू हो।

12. नई पेंशन योजना को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना लागू हो एवं न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की जाए।

हम सभी इस्पात कर्मियों से अपील करते है कि:-

कर्मियों की गरिमा को बढ़ाने, अहंकार और उत्पीडन को पराजित करने, जनता को बचाने, राष्ट्र को बचाने, इस अवसर पर आगे आएं और 2 दिनों की 28-29 मार्च 2022 की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को पूरी तरह सफल करें।

अभिनंदन सह
संपादकमंडली
SWFI (CITU)

SWFI के संपादक मंडली की तरफ से कॉमरेड ललित मोहन मिश्रा द्वारा १ नं. विद्यासागर एवेन्यू से प्रकाशित व प्रचारित।